न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुप्यार कंवर बनाम सुशीला कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. 57/2022
05.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के वकील अनुपस्थित। बार बार आवाजे लगाई । परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादिया ने साक्ष्य वादिया में गवाहान पीडब्लु 1 स्वयं सुप्यार कंवर, पीडब्लु 2 सुनिल सिंह पीडब्लु 3 ईश्वर सिंह के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये । जिनकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई । शपथ पत्र शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादिया ने फर्द दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली रहे । वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 18 प्रदर्शित करवाये। वकील वादिया ने आज ही प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 7 के एडवोकेट अभिषेक कुमावत द्वितीय ने बहस सुने जाने की सहमति दी । जिस पर उपस्थित वकील वादिया एवं प्रतिवादी की बहस बहुपक्षीय सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षकरान की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किंये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । 05/02/24 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
57 / 2022	2022 / 106	16.05.2022	05.02.2024

उनवान

1. सुप्यार कंवर पत्नि श्री हनुमान सिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

वादिया

बनाम

1. सुशीला कंवर पत्नि श्री धनसिंह उम्र 65 वर्ष
2. जोरावर सिंह पुत्र श्री धनसिंह उम्र 45 वर्ष
3. सोहन सिंह पुत्र श्री धनसिंह उम्र 43 वर्ष
4. कैलाश कंवर पुत्री धनसिंह उम्र 42 वर्ष
5. गैन्दा कंवर पुत्री धनसिंह उम्र 41 वर्ष
6. कमोद कंवर पुत्री धनसिंह उम्र 40 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
7. हनुमान सिंह पुत्र रिछपाल सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
8. पटवारी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

05/02/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादिया अभिभाषक।

श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 7

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10

वादपत्र बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.28है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28है0 के हिस्सा 2/40 भूमि एवं खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.15है0, खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.35है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नम्बर 2734 रकबा 0.42है0, खसरा नं. 2767 रकबा 0.7100 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.1300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2630 रकबा 0.4600 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2376 रकबा 0.1300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि, खसरा नं. 2527 रकबा 0.5000 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नम्बर 2637 रकबा 0.1700 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नं. 2545 रकबा 0.8300 है0 , खसरा नम्बर 2549 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2733 रकबा 0.8300है0 , खसरा नं. 2757 रकबा 0.6800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2738 रकबा नं. 1.0300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2759 रकबा 1.2300है0, खसरा नं. 2760 रकबा 0.4800 है0, ख[illegible] नं. [illegible]61 रकबा 0.4300है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400है0 के हिस्सा 14/240 [illegible] रकबा 0.3500है0 खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

6800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2738 रकबा नं. 1.0300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2759 रकबा 1.2300है0, खसरा नं. 2760 रकबा 0.4800 है0, खसरा नं. 2761 रकबा 0.4300है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नं. 2703 रकबा 0.3500है0 खसरा नं. 2704 रकबा 0. 1100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2716 रकबा 0.3800है0, खसरा नं. 2721 रकबा 0.5300 , खसरा नं. 2722 रकबा 0.2700है0, खसरा नं. 2723 रकबा 0.2300है0 , खसरा नं. 2724 रकबा 0.1000है0 , खसरा नं. 2725 रकबा 0. 0700है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5800है0 के हिस्सा 14/120 भूमि एवं खसरा नं. 2820/2540 रकबा 1.2400है0 , खसरा नं. 2821/2540 रकबा 0.0800है0 खसरा नं. 2822/2540 रकबा 0.4000है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7300है0 के हिस्सा 2/864 भूमि एवं राजस्व ग्राम बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 2356 रकबा 0.5900है0 , खसरा नम्बर 2357 रकबा 0. 30है0, खसरा नं. 2358 रकबा 0.3000है0 , खसरा नं. 2360 रकबा 0.5800है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5900है0 के हिस्सा 2/96 भूमि का वादिया को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावे तथा तत्प्रमाणिक असर स्वरूप उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया ।

इस पर वादिया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं अण्डटेकिंग पेश की। वकील प्रतिवादीगण द्वारा मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र पेश करने पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा बार बार अवसर दिये जाने पर भी मौका दिखाने पर 500रू0 कोस्ट पर मौका दिखाये जाने का अवसर दिया गया। तहसीलदार अजीतगढ द्वारा मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नं. 2704 रकबा 0.1100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2716 रकबा 0.3800है0, खसरा नं. 2721 रकबा 0.5300 , खसरा नं. 2722 रकबा 0. 2700है0, खसरा नं. 2723 रकबा 0.2300है0 , खसरा नं. 2724 रकबा 0.1000है0 , खसरा नं. 2725 रकबा 0.0700है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5800है0 के हिस्सा 14/120 भूमि एवं खसरा नं. 2820/2540 रकबा 1.2400है0 , खसरा नं. 2821/2540 रकबा 0.0800है0 खसरा नं. 2822/2540 रकबा 0.4000है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7300है0 के हिस्सा 2/864 भूमि एवं राजस्व ग्राम बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 2356 रकबा 0.5900है0 ,खसरा नम्बर 2357 रकबा 0. 30है0, खसरा नं. 2358 रकबा 0.3000है0 ,खसरा नं. 2360 रकबा 0.5800है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5900है0 के हिस्सा 2/96 भूमि की वादिया काबिज खातेदार काश्तकार है । उक्त वर्णित आराजीयान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है । उक्त वादग्रस्त भूमि को वादिया के पति प्रतिवादी संख्या 7, जो कि उक्त खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुख्त्यारआम थे, ने जरिये रजिस्टर्ड उपहार लेख दिनांक 24.06. 2021 के द्वारा वादिया को अंतरित कर दी । यहां गौरलतब है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पति/पिता धन सिंह ने बैंक से ऋणधन प्राप्त किया था । जो बकाया होकर उक्त भूमि पर बैंक का काफी ऋणधन बकाया होकर नीलामी की स्थिति हो गई। तब प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान करते हुये अपनी संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली तथा प्रतिवादी संख्या 7 के हक में बेचान ईकरारनामा निष्पादित कर दिया । चुंकी उस समय उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मृतक पिता/पति धन सिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक में विरासत का नामान्तकरण होने के बाद ही उक्त भूमि विक्रय लेख निष्पादित हो सकता था, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने उक्त बेचान [illegible] के साथ ही एक मुख्त्यारनामा आम प्रतिवादी संख्या 7 के हक में निष्पादित कर दिया [illegible] कि जब उक्त भूमि की विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो जावे तब प्रतिवादी संख्या 7 उक्त मुख्त्यारनामा के द्वारा उक्त भूमि को अंतरित कर ले । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ने उक्त भूमि को कानूनन कय कर लिया था तथा उक्त भूमि को अंतरित करने सहित तमाम हक व वैधानिक अधिकार प्रतिवादी संख्या 7 को प्राप्त हो गये थे । इसी के चलते प्रतिवादी संख्या 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्राप्त वैधानिक अंतरण क्षमता के अधिकारों के तहत उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड उपहार लेख वादिया के हक में उपहार लेख पंजीकृत करवाया है । इस प्रकार वादिया को वादग्रस्त भूमि के संबंध में उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर का तकारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिनकी वादिया घोषणा करवाने की विधिक अधिकारिणी है । यहां गौरतलब है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आपस में भाई,बहिन, माता है । जिन्होने अपने पिता के विरासत का नामान्तकरण खुलने के बाद अन्य भूमियों सहित उक्त वादग्रस्त भूमियों बाबत प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक में हकत्याग कर दिया । जिसके कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई । वादिया ने उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के लिये राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को निवेदन किया । परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मन में वर्तमान में जमीनों की बढती किमतो को देखकर बेइमानी आ गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों पर बैजा व अवैध दबाब व प्रभाव लगाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज नही होने दे रहे । अर्सा करीब 7 दिन पूर्व वादिया ने उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 10 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा सक्षम न्यायालय के आदे ा पर ही उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज करने बाबत कहा । इस पर उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पे ा करना लाजिमी हुआ है । इस प्रकार वादिया वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की काबिज खातेदार उदघोषित करवाने की विधिक अधिकारिणी है तथा वादिया को उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/02/24
दिलीप ...
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मन में वर्तमान में जमीनों की बढती किमतों को देखकर बेईमानी आ गई है तथा उक्त प्रतिवादीगण ऐनकेन प्रकारेण उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज नही होने दे रहे है तथा वादग्रस्त भूमि पर अपने लठबल के दम पर मजाहमत पैदा करने, वादिया को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से ताकत के बल पर वंचित करने, वादिया के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो रहे है । इसलिये प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा व अवैध कृत्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक हैं। वादकारण अर्सा करीब 7 दिन पूर्व वादिया द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 10 से निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा सक्षम न्यायालय के आदे ा पर ही उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज करने बाबत कहने , प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा विगत करीब चार पांच दिन से वादिया के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने , वादिया को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की एलानियां धमकियां देने पर उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ । वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.28है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28है0 के हिस्सा 2/40 भूमि एवं खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.15है0, खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.35है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नम्बर 2734 रकबा 0.42है0, खसरा नं. 2767 रकबा 0.7100 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.1300है0 कें हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2630 रकबा 0.4600 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2376 रकबा 0. 1300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि, खसरा नं. 2527 रकबा 0.5000 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नम्बर 2637 रकबा 0.1[illegible] है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नं. 2545 रकबा 0.8300 है0 , खसरा नम्बर 2549 रकबा 0.4800 [illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 1.3100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2733 रकबा [illegible]300है0 , खसरा नं. 2757 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रिपोर्ट जरिये पत्रांक कमांक रीडर/266/2023 द्वारा प्राप्त हुई । जिसको शामिल पत्रावली किया गया । वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत एतराज मौका कमिश्नर रिपोर्ट व खारिज किये जाने मौका रिपोर्ट पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 व 8 ता 10 रजिस्टर्ड डाक तामील के उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 व 8 ता 10 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय ने वकालतनामा एवं ईकबालिया जबाब दावा पेश किया । वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार किया । वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत एतराज कमिश्नर आदेश दिनांक 29.01.2024 के द्वारा खारिज किया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जबाब दावा पेश करने का बार बार अवसर दिये जाने के बावजुद जबाब दावा नही पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जबाब दावा बंद किया गया । वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के उपस्थित नही आने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वकील वादिया ने साक्ष्य वादिया में गवाहान पीडब्लु 1 स्वयं सुप्यार कंवर, पीडब्लु 2 सुनिल सिंह पीडब्लु 3 ईश्वर सिंह के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये । जिनकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई । शपथ पत्र शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादिया ने फर्द दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली रहे । वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी खसरा नम्बर 2411, प्रदर्श 2 जमाबंदी खसरा नम्बर 2528,2569, प्रदर्श संख्या 3 जमाबंदी खसरा नम्बर 2734,2767, प्रदर्श 4 जमाबंदी खसरा नम्बर 2630 प्रदर्श 5 जमाबंदी खसरा नम्बर 2376, प्रदर्श संख्या 6 जमाबंदी खसरा नम्बर 2527,प्रदर्श 7 जमाबंदी खसरा नम्बर 2637 , प्रदर्श 8 जमाबंदी खसरा नम्बर 2545,2549, प्रदर्श 9 जमाबंदी खसरा नम्बर 2733,2757, प्रदर्श 10 जमाबंदी खसरा नम्बर 2738, प्रदर्श 11 जमाबंदी खसरा नम्बर 2759,2760,2761, प्रदर्श 12 जमाबंदी खसरा नम्बर [illegible],प्रदर्श 13 जमाबंदी खसरा नम्बर 2716, 2721, 2722, 2723, 2724, [illegible] खसरा नम्बर 2820/2540

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

2821/2540 2822/2540, प्रदर्श 15 जमाबंदी खसरा नम्बर 2356,2358,2360, प्रदर्श 16 मुख्त्यारनामा दिनांक 27.08.2017 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 16 ए, प्रदर्श 17 उपहार लेख दिनांकित 24.06.2021 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 17 ए, प्रदर्श 18 ईकरारनामा दिनांक 27.08.2017 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 18 ए प्रदर्शित करवाये । वकील वादिया ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 7 के एडवोकेट अभिषेक कुमावत द्वितीय ने बहस सुने जाने की सहमति दी । जिस पर उपस्थित वकील वादिया एवं प्रतिवादी की बहस बहुपक्षीय सुनी गई ।

हमने वकील वादिया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादिया की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 ता 15 अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। प्रदर्श 16 ए के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 27.08.2017 को एक मुख्त्यारनामा प्रतिवादी संख्या 7 के हक में निष्पादित किया गया है। जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीक हुआ है। प्रदर्श 17 ए के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुख्यारआम प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा वादिया के हक में रजिस्टर्ड उपहार लेख दिनांकित 24.06.2021 निष्पादित किया गया है। प्रदर्श 18 ए ईकरारनामा दिनांक 27.08.2017 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान की गई है । उक्त रजिस्टर्ड उपहार लेख पर विक्रय लेख के अनुसार मुद्रांक गणना करते हुए मुद्रांक शुल्क जमा किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श 16 ए ता प्रदर्श 17 ए को न तो किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा नही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात को निरस्त किया गया है। प्रदर्श प्रदर्श 16 ए पंजीकृत दस्तावेजात है । जो कि काननून प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादिया के हक में पंजीबद्व करवाया गया है । साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

03/02/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अनुनन मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नही है। इस संबंध मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 व 92 उल्लेखनिय है:-

धारा 91 – दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य –

जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिनपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

धारा 92. मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन – जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों को, या किसी बात को, जिनके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अन्तिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखत के पक्षकारों या उनके हत प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जायेगा।

इस प्रकार प्रदर्श 16 ए विधि अनुसार पंजीकृत दस्तावेज है। जिसकी अंन्तर्वस्तु या तथ्यों के बाबत किसी भी पक्षकार ने किसी भी न्यायालय में चुनोती नही दी है तथा नही आक्षेपित किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज में अंकित तथ्यों के खिलाफ कथन करने का प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नही है। इस प्रकार प्रदर्श 16 ए के द्वारा वादिया के हक में पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा वादिया को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है । जिसके संबंध में गवाहन के बयानात पीडब्लु 1 ता 3 से भी वादिया का कब्जा साबित होता है। इस प्रकार उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

05/02/24
दिलीप सिं...
सहायक कलक्टर (...)
श्रीमाधोपुर (नीमका...)

समस्त विवेचन , पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादिया का वाद बाबत उदघोषणा व स्थयी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.28है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.28है0 के हिस्सा 2/40 भूमि एवं खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.15है0, खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.35है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नम्बर 2734 रकबा 0.42है0, खसरा नं. 2767 रकबा 0.7100 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.1300है0 कें हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2630 रकबा 0.4600 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2376 रकबा 0.1300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि, खसरा नं. 2527 रकबा 0.5000 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नम्बर 2637 रकबा 0.1700 है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नं. 2545 रकबा 0.8300 है0 , खसरा नम्बर 2549 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1. 3100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2733 रकबा 0.8300है0 , खसरा नं. 2757 रकबा 0.6800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5100है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2738 रकबा नं. 1.0300है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2759 रकबा 1.2300है0, खसरा नं. 2760 रकबा 0.4800 है0, खसरा नं. 2761 रकबा 0.4300है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एंव खसरा नं. 2703 रकबा 0.3500है0 खसरा नं. 2704 रकबा 0.1100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4600है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2716 रकबा 0. 3800है0, खसरा नं. 2721 रकबा 0.5300है0, खसरा नं. [illegible] रकबा 0.2700है0, खसरा नं. 2723 रकबा 0.2300है0 , खसरा नं. 2724 रकबा 0.1000है0, खसरा नं. 2725 रकबा 0.0700है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5800है0 के हिस्सा 14/240 भूमि एवं खसरा नं. 2820/2540 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

2400है0 , खसरा नं. 2821/2540 रकबा 0.0800है0 खसरा नं. 2822/2540 रकबा 0.4000है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7300है0 के हिस्सा 2/864 भूमि एवं राजस्व ग्राम बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 2356 रकबा 0.5900है0 , खसरा नम्बर 2357 रकबा 0.30है0, खसरा नं. 2358 रकबा 0.3000है0 , खसरा नं. 2360 रकबा 0.5800है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5900है0 के हिस्सा 2/96 भूमि का वादिया को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाता है कि वादिया की उक्त वादग्रस्त भूमि के वादिया के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:20 IST
Reason: SelfAttested